

झारखंड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
नेपाल हाऊस, डोरण्डा, राँची (झारखण्ड)

पत्र सं०- 02.त0शि0/योजना -03/2021

/राँची, दिनांक-

प्रेषक,

सुनील कुमार, भा0प्र0से0,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

प्राचार्य/प्रभारी प्राचार्य,
राजकीय पोलिटेकनिक, लातेहार/धनबाद,
झारखण्ड।

विषय:- व्यवहारिक प्रशिक्षण बोर्ड (पूर्वी क्षेत्र), मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा शिक्षा अधिनियम 1961 यथा संशोधित 1973 एवं 2014 (Apprentices Act 1961) के आलोक में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अन्तर्गत अभियंत्रण महाविद्यालयों एवं डिप्लोमा संस्थानों में राज्य के उत्तीर्ण (डिग्री/डिप्लोमा प्राप्त) छात्रों को प्रशिक्षु के रूप में प्रशिक्षणार्थ कुल रू० 1,20,500/- (रू० एक लाख बीस हजार पांच सौ) मात्र भुगतान हेतु आवंटन की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय स्वीकृत्यादेश सं० 05/योजना दिनांक 10.06.2024 एवं विभागीय संकल्प संख्या 765 दिनांक 17.08.2021 तथा 392 दिनांक 20.04.2023 के आलोक में विभागान्तर्गत संचालित विभिन्न तकनीकी शिक्षण संस्थानों में Graduate Apprentices एवं Technician Apprentices तथा Advanced Graduate Apprentices एवं Advanced Technician Apprentices के रूप में प्रशिक्षणार्थ छात्रों को पारिश्रमिक के रूप में वित्तीय वर्ष 2024-25 में Stipend भुगतान हेतु कुल रू० 1,20,500/- (रू० एक लाख बीस हजार पांच सौ) मात्र की आवंटन की स्वीकृति निम्न तालिका के अनुसार प्रदान की जाती है -

क्र०	इकाई का नाम	मानदेय (विपत्र कोड-435220300003A7010109)	कुल
1	रा० पो०, लातेहार	30,500.00	30,500.00
2	रा० पो०, धनबाद	90,000.00	90,000.00
कुल		1,20,500.00	1,20,500.00
कुल (रू० 1,20,500/- (रू० एक लाख बीस हजार पांच सौ) मात्र			

2. i. Apprenticeship (Amendment) Rule, 2019 में निहित प्रावधानों के अनुसार उक्त प्रशिक्षण में छात्रों को प्रतिमाह छात्रवृत्ति के रूप में डिग्रीधारी छात्रों के लिए रू० 9,000/- प्रतिमाह एवं डिप्लोमाधारी छात्रों के लिए रू० 8,000/- प्रतिमाह दिए जाने का प्रावधान है एवं भुगतये किये जाने वाली उक्त Stipend की राशि का 50 प्रतिशत राशि का भुगतान Board of Practical Training (Eastern Region) भारत सरकार द्वारा DBT के माध्यम से किया जाने का प्रावधान है।
- ii. राज्य सरकार द्वारा डिग्रीधारी प्रशिक्षु के लिए प्रति प्रशिक्षु छात्रवृत्ति रू० 15,000/- प्रति माह जिसमें राज्यांश की राशि रू० 10,500/- शामिल है तथा डिप्लोमाधारी छात्रों के लिए कुल छात्रवृत्ति रू० 10,000/- प्रति माह जिसमें राज्यांश की राशि रू० 6,000/- शामिल है, दिया जायेगा। प्रति माह छात्रवृत्ति की अवशेष राशि यथा-डिग्रीधारी प्रशिक्षु (Graduate Apprentices) के लिए प्रति प्रशिक्षु रू० 4500/- एवं डिप्लोमाधारी प्रशिक्षु (Technician Apprentices) के लिए प्रति प्रशिक्षु रू० 4000/- की राशि DBT के माध्यम से व्यवहारिक प्रशिक्षण बोर्ड (पूर्वी क्षेत्र) से प्राप्त होगा।
- iii. प्रत्येक संस्थान प्रमुख/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी होगी कि व्यवहारिक प्रशिक्षण बोर्ड (पूर्वी क्षेत्र), कोलकता का पत्रांक 890 दिनांक 12.02.2024, 943 दिनांक 19.02.2024, 930 दिनांक 23.02.2024 तथा 945 दिनांक 26.02.2024 के आलोक में Graduate Apprentices के लिए प्रति प्रशिक्षु प्रतिमाह रू० 4500/- एवं Technician Apprentices के लिए प्रति प्रशिक्षु प्रतिमाह रू० 4000/- की राशि का भुगतान DBT के माध्यम से सुनिश्चित करने हेतु सभी प्रशिक्षुओं का पंजीयन करवा लेंगे।



3. एक वर्ष के अतिरिक्त प्रशिक्षण के अवधि में Advanced Graduate Apprentices के लिए कुल छात्रवृत्ति रू0 18,000/- प्रतिमाह प्रति प्रशिक्षु एवं Advanced Technician Apprentices के लिए कुल छात्रवृत्ति रू0 12,000/- प्रतिमाह प्रति प्रशिक्षु का भुगतान किया जायेगा।
4. इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में व्यय हाने वाली राशि का वहन राज्य स्कीम बजट मुख्य शीर्ष-2203-तकनीकी शिक्षा/लघु शीर्ष-003-प्रशिक्षण/उपशीर्ष-A7-प्रशिक्षण एवं विकास, इंस्टीट्यूट नेटवर्किंग और सहयोग के अन्तर्गत मानदेय ईकाई में उपबंधित राशि में से किया जाएगा। (विपत्र कोड 43S220300003A7010109)
5. राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्राचार्य/प्रभारी प्राचार्य, राजकीय पोलिटेकनिक, लातेहार, धनबाद या विभाग द्वारा घोषित पदाधिकारी होंगे।
6. राशि की निकासी कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, लातेहार, धनबाद से की जायेगी।
7. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह आश्वस्त होने के उपरान्त ही उक्त राशि की निकासी करेंगे कि इस कार्य के लिये अन्य स्रोतों से राशि प्राप्त नहीं किया गया है।
8. यह राशि State Scheme Code 1288 से संबंधित है।
9. राशि की निकासी एवं व्ययन वित्त विभाग के परिपत्र सं0-2561 दिनांक- 17/04/98, पत्रांक 274 दिनांक-31.03.2023 एवं पत्रांक 257 दिनांक-21.03.2024 के आलोक में की जाएगी। राशि की निकासी एवं व्ययन के पूर्व वित्त विभाग के उपर्युक्त पत्र में निहितदिशा-निर्देश एवं समय-समय पर निर्गत अन्य सुसंगत परिपत्रों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
10. स्वीकृति राशि के अंकेक्षण का अधिकार, महालेखाकार, झारखण्ड एवं वित्त विभाग (अंकेक्षण) का होगा।
11. झारखंड कोषागार संहिता के नियम 174 का पालन सख्ती से किया जाएगा।
12. प्रस्ताव पर प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।
13. व्यय विवरणी, टी0भी0नं0 सहित संकलित एवं संधारित कर महालेखाकार कार्यालय जाकर लेखाओं का सत्यापन/मिलान त्रैमासिकी सुनिश्चित करेंगे।

विश्वासभाजन,

ह0/-

(सुनील कुमार)

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक- 02.त0शि0/योजना -03/2021

/राँची, दिनांक-

प्रतिलिपि- कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, लातेहार, धनबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(सुनील कुमार)

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक- 02.त0शि0/योजना -03/2021- 29/अक्टू

/राँची, दिनांक- 25/03/2025

प्रतिलिपि- महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग झारखण्ड/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार/निदेशक, तकनीकी शिक्षा/विभागीय प्रधान सचिव के वरीय प्रधान आप्त सचिव/बजट पदाधिकारी/नोडल पदाधिकारी को Upload करने हेतु/बजट शाखा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/03/25

(सुनील कुमार)

सरकार के अपर सचिव



आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

Higher and Technical Education Department (Technical Education Division)

चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

पत्र संख्या - 2TS/P-03/2021/29/BUDGET

दिनांक - 25-Mar-2025

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 43 220300003A7010109 2203 - तकनीकी शिक्षा 00 - तकनीकी शिक्षा 003 - प्रशिक्षण A7 - प्रशिक्षण एवं विकास, इंस्टीट्यूट नेटवर्किंग और सहयोग 01-प्रशिक्षण एवं विकास, इंस्टीट्यूशनल नेटवर्किंग और सहयोग. 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme	102343	LTREDN075 RAJU HANSDA I/C. POL. LTR. 09 - मानेदय	30,500.00 रुपये तीस हजार पाँच सौ
	State Scheme : TRAINING & DEVELOPMENT, INSTITUTIONAL NETWORKING & COLLABORATION(1288) Central Scheme : NA			
2	S 43 220300003A7010109 2203 - तकनीकी शिक्षा 00 - तकनीकी शिक्षा 003 - प्रशिक्षण A7 - प्रशिक्षण एवं विकास, इंस्टीट्यूट नेटवर्किंग और सहयोग 01-प्रशिक्षण एवं विकास, इंस्टीट्यूशनल नेटवर्किंग और सहयोग. 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme	102346	DHNSCT033 RAJESH KUMAR I/C PRINCIPAL GOVT.POLYT.DHANB 09 - मानेदय	90,000.00 रुपये नब्बे हजार
	State Scheme : TRAINING & DEVELOPMENT, INSTITUTIONAL NETWORKING & COLLABORATION(1288) Central Scheme : NA			

योग:

रुपये एक लाख बीस हजार पाँच सौ

120,500.00

क्रमिक योग:

(SUNIL KUMAR)

ADDITIONAL SECRETARY

